

2025/602

खातीर

23.12.2025

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
महेन्द्रसिंह जाखड़ बनाम
अजय कुमार आदि

मुकदमा किस्म - रास्ता स्वीकृति

प्रकरण संख्या 62 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
25.07.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड नोटिस से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 04.08.2025 को पेश हो।	
4.8.2025	<p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड नोटिस से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 04.08.2025 को पेश हो।</p> <p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड नोटिस से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 04.08.2025 को पेश हो।</p>	
3.10.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड नोटिस से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 04.08.2025 को पेश हो।	
4.11.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड नोटिस से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 04.08.2025 को पेश हो।	
8.12.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड नोटिस से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 04.08.2025 को पेश हो।	
23.12.2025	<p>पत्रावली देका दुर्वी वकील प्रार्थी ने सिनेदन किया कि प्रार्थना-पत्र आगे नही चलाना चाहे कि मौजूदा रिपॉर्टर में खरीज करवाना चाहे है। आ प्रार्थना-पत्र मौजूदा रिपॉर्टर में खरीज किया जाता है। पत्रावली नामर से कर ही जाकर आउ तारीख तारीख जाकर 31/12/2025 तक हो।</p>	<p>Not present चलाना नही पाहेते। 23.12.2025</p>

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

